प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.3190/जी0एस0 दिनांक 23.03.2007 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

## आदेश

बी0एन0डिग्री कालेज, शाहाबाद, हरदोई को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के "परन्तुक" के अधीन शिक्षण सत्र 2004-05 हेतु एक वर्ष के लिए सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन केउ पत्र संख्या-4607/70-2-2004-3(19)/2004 दिनांक 4.1.2005 के क्रम में मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल द्वारा संस्था की जांच करायी गयी । जांच के समय संस्था में पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा उक्त संस्था की सम्बद्धता उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(9) के अंतर्गत समाप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया । उल्लेखनीय है कि मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल की जांच आख्या एवं शासन के अभिमत के अवलोकनोपरान्त संस्था में विद्यमान कमियों/अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने के संबंध में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से जॉचोपरान्त आख्या मांगी गयी ।

विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 01.12.2005 के द्वारा संस्था की निरीक्षण आख्या प्राप्त हुई जिसके अनुसार संस्था में बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन में निम्नलिखित कमियॉ/अनियमिततायें पाई गई थी:-

1. महाविद्यालय द्वारा 04 शिक्षकों एवं प्राचार्य का अनुमोदन तो कराया गया परन्तु जांच के बाद यह पाया गया कि 02 शिक्षक न्यूनतम योग्यता धारित नही है । महाविद्यालय में मात्र 02 शिक्षक ही नियमों के अनुरूप योग्यता धारित कार्यरत है । महाविद्यालय मे 05 शिक्षकों की कमी है ।

महाविद्यालय में उपर्युक्त अनियमितताये/कमियॉ विद्यमान होने के कारण विश्वविद्यालय ने सत्र 2004-05 हेतु बी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति नही की तथा शासन द्वारा भी जांच आख्या के क्रम में संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति नही की गयी । विधिक रूप से सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदाने का अन्तिम अधिकार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में निहित है एवं चूंकि उक्त संस्था के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा कोई सकारात्मक प्रस्ताव प्रेषित नही किया गया था । अतः विश्वविद्यालय की प्राप्त आख्या के सम्यक परीक्षणोपरान्त बी0एन0डिग्री कालेज, शाहाबाद, हरदोई को आदेश संख्या-ई0सं0364/जी0एस0 दिनांक 08.03.2006 के द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2005-06 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के विषय में पूर्व अनुज्ञा प्रदान नही की गयी ।

उक्त आदेश के विरू0 संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में याचिका संख्या-2959(एम/बी)/2006 योजित की गयी जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.5.2006 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

" learned Counsel for the peltitioner states that the college has already completed all the necessary formaltities and has sent the matter to the University.

Considering the facts and circumstances of the case, we provide the University shall submitits its recommendation with 15 days to the Chancellor. The Chancellor Chhatrapati Shahu Ji Maharaj Univetrsity shall consider and pass appropriate orders on the said recommendations/reports of the Universiy expeditiously"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वउारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.6.2006 में उल्लेख किया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्राचाय एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञ की मांग की गयी और शिक्षकों के चयन हेतु जो आवेदन पत्र एवं बायोडेटा प्रस्तुत किया गया उसमें कोई भी अभ्यर्थी अर्ह नही है । विश्वविद्यालय ने यह भी उल्लेख किया कि महाविद्यालय में शिक्षक न तो पूर्व में उपलब्ध थे और न ही वर्तमान में अर्ह शिखक निर्धारित संख्या में कार्यरत है । विश्वविद्यालय ने यह भी अवगत कराया है कि संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सही सत्य एवं स्थिति प्रस्तुत नही गयी ।

मुख्य है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य याचिका संख्या-28023/2005 में पारित आदेश दिनांक 13.9.2005 में निर्देश दिया गया है कि निर्धारित योग्यता के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष एवं निर्धारित संख्य में प्रवक्ताओंकी नियुक्ति के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रदान की जाए । शासनादेश संख्या-5267/सत्तर-2-2005 2(166)/2002 टी0सी0 दिनांक 16.11.2005 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय स्तर से कुलाधिपति की पूर्व अनुज्ञा के उपरान्त बी0एड0 महाविद्यालयों को सम्बद्धता तभी दी जाए जब वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हो, विशेष रूप से निर्धारित योग्यता तथा निर्धारित संख्या में प्रवक्ताओं तथा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति अनिवार्य रूप से कर ली गयी हो । ऐसे बी0एड0 महाविद्यालय जो निर्धारित योग्यता के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष तथा निर्धारित योग्यता व निर्धारित संख्या में प्रवक्ताओं की नियुक्ति नही करते है उन्हें किसी भी दशा में विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्रदान नही करेगे ।